<u>स्वीकृति की मुख्य वित्तीय निबंधन एवं शर्तें</u>

(अन्य सामान्य/ विशेष निबंधन एवं शर्तें आकलन के आधार पर अनुबंधित की जाएगी)

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th colspan="2">स्वीकृति की मुख्य वित्तीय निबंधन एवं शर्तें</th></tr>
<tr><td>1</td><td>प्रतिभूति</td><td>पीएफसी द्वारा निम्नलिखित प्रतिभूति ढांचा निर्धारित किया गया है:
i राज्य/केंद्र सरकार प्रत्याभूति/बैंक प्रत्याभूति/परिसंपत्तियों पर चार्ज;
ii एस्क्रो खाता/साख-पत्र;

नोट: - विशेष मामलों में ऋणकर्ता की क्रेडिट योग्यता के आधार पर प्रतिभूति ढांचा को संशोधित किया जा सकता है।

पीएफसी निजी क्षेत्र संस्थाओं से निम्नलिखित अतिरिक्त प्रतिभूतियों/कोवनेंट में से एक या अधिक के लिए अनुरोध कर सकता है:
i कॉर्पोरेट प्रत्याभूति;
ii प्रमोटरों की व्यक्तिगत प्रत्याभूति;
iii प्रमोटरों के शेयरों की जमानत;
iv समूह/अन्य कंपनियों की परिसंपत्तियों पर चार्ज;
v निगम के पक्ष में सभी परियोजना सविदाओं, दस्तावेजों, बीमा नीतियों का असाइनमेंट;
vi विश्वास और प्रतिधारण तंत्र की स्थापना, ताकि परियोजनाओं की सभी आय को पीएफसी द्वारा निर्धारित तरीके से उपयोग किया जा सके;
vii राजस्व पर चार्ज
viii निगम को स्वीकार्य कोई अन्य प्रत्याभूति।

नोट: - परियोजनाओं के विभिन्न चरणों में विभिन्न जोखिमों को उठाने के लिए अतिरिक्त प्रतिभूति की अपेक्षा का मूल्यांकन आकलन के दौरान किया जाएगा।</td></tr>
<tr><td>2 (क)</td><td>ब्याज/ अतिरिक्त ब्याज</td><td>जब तक सावधि ऋण को पूरी तरह चुका नहीं दिया जाता तब तक कंपनी पीएफ़सी को बकाया सावधि ऋण के मूलधन पर ब्याज को समय समय पर प्रत्येक संवितरण पर प्रचलित दर पर भुगतान करेगा।

ऋणकर्ता द्वारा निगम को नियत तारीख में ब्याज या मूलधन का भुगतान न किए जाने की स्थिति में, डिफ़ाल्ट राशि में ऋण की लागू ऋण दरों पर अतिरिक्त ब्याज लिया जाएगा।</td></tr>
<tr><td>2 (ख)</td><td>दंडस्वरूप ब्याज (निर्णीत हर्जाना)</td><td>ऋणकर्ता द्वारा निगम को नियत तारीख में ब्याज या मूलधन का भुगतान न किए जाने की स्थिति में, ऋणकर्ता 2.0%* की दर से दंडस्वरूप ब्याज का भुगतान निगम करेगा, जिसे तिमाही आधार पर संयोजित किया जाएगा।
* (वर्तमान में कंशोर्शियम ऋण के मामले में, दर को मामल-दर-मामला आधार पर तय किया जाता है)।</td></tr>
<tr><td>2 (ग)</td><td>टैक्स लेवी और शुल्क</td><td>ऋण की मुद्रा के दौरान ऋणकर्ता भारत सरकार या अन्य प्राधिकरण द्वारा लगाए गए सभी आयात कर, शुल्क एवं कर या समय-समय लगाए जाने वाले अन्य प्राभरों को वहन करेगा।</td></tr>
<tr><td>3</td><td>ब्याज रीसेट</td><td>निगम को पहले संवितरण की तारीख से शुरू प्रत्येक दसवें वर्ष/ पांचवें वर्ष/ तीसरे वर्ष (यथा लागू) की समाप्ती पर अपने मतानुसार ब्याज दर को रीसेट करने का अधिकार प्राप्त है। यदि नियम द्वारा ब्याज रीसेट किया जाता है, तो वह 10वें/5वें/3वें वर्ष अवधि (यथा लागू) की समाप्ती के तुरंत बाद मानक देय तारीख से लागू किया जाएगा। ऋणकर्ता को करार ज्ञापन (एमओए) के कार्यान्वयन के समय पर रीसेट अवधि के संबंध में विकल्प देना होगा। रीसेट के उद्देश्य से, रीसेट के लिए प्रस्तावित संवितरणों की ब्याज दरें ही ऋणों की समान श्रेणियों के लिए रीसेट अवधि की समाप्ती पर वर्तमान ब्याज दरें होंगी।</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>4</td><td>आहरण की अंतिम तारीख/ ऋण समापन तारीख</td><td>जब तक पीएफसी अन्यथा सहमत न हो, समझौते पर हस्ताक्षर करते समय लिए गए निर्णय के अनुसार, कंपनी का सावधि ऋण से आहरण करने का अधिकार आहरण की अंतिम तारीख को समाप्त हो जाएगा।</td></tr>
<tr><td>5</td><td>पुनर्भुगतान</td><td>निगम की नीति के अनुसार पुनर्भुगतान अवधि को समय-समय पर नियमित किया जाता है। ऋणकर्ता की पे-बैक अवधि और ऋण योग्यता को ध्यान में रखते हुए पुनर्भुगतान अवधि को निर्धारित किया जाएगा और संस्वीकृति पत्र में उसको दर्शाया जाएगा। परियोजनाओं की विभिन्न श्रेणियों की अधिकतम सीमा नीचे दी गई है:-
<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>परियोजना/स्कीमों के प्रकार</th><th>(वर्षों) तक अधिकतम पुनर्भुगतान अवधि</th></tr>
<tr><td>1</td><td>हाइड्रो जेनरेशन स्कीमें</td><td>20</td></tr>
<tr><td>2</td><td>मीटरिंग, अध्ययन, परामर्शी सेवाएं, प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं विकास, सर्वेक्षण एवं अंवेक्षण, संव्यवहार तथा कम्प्यूटरीकरण स्कीमें</td><td>5</td></tr>
<tr><td>3</td><td>उपर्यक्त (1) एवं (2) से अन्य थर्मल जेनरेशन सहित सभी स्कीमें/परियोजनाएं</td><td>15</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>6</td><td>ऋण का समय-पूर्व भुगतान</td><td>रूपया अवधि ऋण(ऋणों) का समय-पूर्व भुगतान/समय-पूर्व पुनर्भुगतान के लिए नीति का संक्षिप्त विवरण अनुलग्नक-I में संलग्न है।</td></tr>
</table>

रूपया अवधि ऋण(ऋणों) का समय-पूर्व-भुगतान/समय-पूर्व पुनर्भुगतान के लिए नीति का एक संक्षिप्त विवरण

1) प्रयोज्यता

यह नीति रुपया अवधि ऋण और अल्पावधि ऋण दोनों के समय-पूर्व भुगतान के मामले में सरकारी एवं निजी क्षेत्र ऋकर्ताओं दोनों पर लागू होती है।

हालांकि, किसी भी मामले में, भारत सरकार के त्वरित जनरेशन और आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एवं एसपी) के अंतर्गत शामिल ऋण को इन मामलों में भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई एजी एवं एसपी सब्सिडी के प्रभाव से समय-पूर्व भुगतान के लिए स्वीकार किया जाएगा।

2) ऋण के समय-पूर्व भुगतान के लिए दिशा-निर्देश

क) समय-पूर्व-भुगतान के लिए सहमति - ऋणकर्ता द्वारा रुपया अवधि ऋण और अल्पावधि ऋण दोनों के समय-पूर्व भुगतान पीएफसी की पूर्व लिखित सहमति प्राप्त करने के बाद ही किया जा सकता है। ऐसी सहमति प्रदान करना या अस्वीकार करना पीएफसी के पूर्ण विवेक पर निर्भर होगा।

ख) रुपया अवधि ऋण का समय-पूर्व भुगतान

(i) ऋणकर्ता के पास निर्धारित समय-पूर्व भुगतान प्रीमियम के भुगतान के अध्यधीन पूर्णत: या अंशतः रुपया अवधि ऋण में बकाया मूलधन का भुगतान करने का विकल्प होगा। हालांकि, संपूर्ण ऋण अवधि के दौरान (ऋण अवधि में पश्चवर्ती विस्तार सहित, यदि कोई हो) ऋणकर्ता द्वारा अंशतः समय-पूर्व भुगतान करने का विकल्प अधिकतम 2 बार उपयोग किया जा सकता है।

(ii) ऋण के पहले संवितरण की तारीख से 5 वर्ष के भीतर रुपया अवधि ऋण का समय-पूर्व भुगतान समान्यतः स्वीकार नहीं किया जाएगा। हालांकि, विशिष्ट मामलों में, पीएफसी 2% के अतिरिक्त प्रीमियम के साथ इस अनुरोध पर विचार कर सकता है।

ग) अल्पावधि ऋण का समय-पूर्व भुगतान

(i) ऋणकर्ता के पास निर्धारित समय-पूर्व भुगतान प्रीमियम के भुगतान के अध्यधीन अल्पावधि ऋण में पूरे बकाया मूलधन का समय-पूर्व भुगतान करने का विकल्प होगा।

नोट: ऋण का अंशतः समय-पूर्व भुगतान करने का विकल्प अल्पावधि ऋण के अंतर्गत उपलब्ध नहीं होगा।

घ) समय-पूर्व भुगतान के लिए अन्य सामान्य शर्तें

(i) जब पीएफसी द्वारा समय-पूर्व भुगतान हेतु अनुरोध स्वीकार कर लिया जाता है, तब ऋणकर्ता समय-पूर्व भुगतान की प्रक्रिया (जैसे सहमति की वैधता, समय-पूर्व भुगतान की नोटिस अवधि, समय-पूर्व भुगतान की तारीखें आदि) के संबंध में पीएफसी से संपर्क कर सकता है।

(ii) मानक ब्याज भुगतान की निर्धारित तारीख पर ऋण के समय-पूर्व भुगतान में समय पर भुगतान रीबेट, जहां भी लागू हो, ब्याज पर दी जाएगी, जो कि ऋण पुनर्भुगतान कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित है।

(iii) ऐसे मामलों में जहां ऋणकर्ता धन-प्रेषण करता है - 1) पीएफसी की पूर्व सहमति के बिना और/या समय-पूर्व भुगतान नोटिस के बिना या 2) पीएफसी द्वारा सहमत तारीख से अन्य तारीख पर, ऐसी प्राप्तियों को समय-पूर्व भुगतान के रूप में नहीं माना जाएगा और पीएफसी की बकाया राशि के सम्मुख ही समायोजित किया जाएगा, यदि कोई हो।

3) समय-पूर्व भुगतान प्रीमियम

निगम द्वारा ऋणकर्ता(ओं) से प्री-पेड की जाने वाली प्रस्तावित राशि पर प्रीमियम को वसूला जाएगा, जो ऋण के समय-पूर्व भुगतान का विकल्प चुनते हैं। प्रीमियम निम्नानुसार होगा:-

क) रुपया अवधि ऋण (बीएलसी/बिल डिस्काउंटिंग/उपकरण विनिर्माण आदि के लिए ऋण(ऋणों) सहित)	
ऋण की शेष परिपक्वता (समय-पूर्व भुगतान की तारीख से अवधि की गणना की जाए)	**प्रीमियम** (साथ ही लागू कर, यदि कोई हो)
3 महीने या उससे कम	-
3 महीने से अधिक और 3 साल तक	0.75%
3 साल से अधिक और 5 साल तक	1.00%
5 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष तक	1.75%
7 वर्ष से अधिक और 9 वर्ष तक	2.25%
9 वर्ष से अधिक और 15 साल तक	2.75%
15 वर्ष से अधिक और 20 साल तक	3.00%
20 वर्ष से अधिक	3.5%
ख) अल्पावधि ऋण	
180 दिन या उससे अधिक की प्रतिबद्ध पुनर्भुगतान अवधि और शेष ऋण परिपक्वता अवधि के साथ (समय-पूर्व भुगतान की तारीख से अवधि की गणना की जाए) जो 30 दिन से अधिक न हो।	-
अन्य मामले	0.25%

नोट: उपर्युक्त दरों के आधार पर कोई भुगतान नहीं प्रेषित किया जाना चाहिए। यदि ऋणकर्ता द्वारा कोई समय-पूर्व भुगतान किया जाना हो, तो उसे वास्तविक गणना के लिए पीएफसी से संपर्क करना चाहिए।

***